न्यायालय बईजलास उपखण्ड अधिकारी चाकसू जिला, जयपुर

पीठासीन अधिकारी :– ओमप्रकाश सहारण (आरएएस)

अपील संख्या :– 229/2019 निर्णय दिनांक :– 9.12.20

उनवान

1. देवनारायण पुत्र नैन्या
2. रामफूल पुत्र नैन्या

जाति मीणा, निवासी ग्राम सवाईजयसिंहपुरा, चाकसू तहसील कोटखावदा जिला जयपुर।

––वादी

बनाम

1. बद्रीनारायण पुत्र कल्याण
2. रामफूल पुत्र कल्याण
3. गौरीशंकर उर्फ गौरू पुत्र कल्याण
4. श्योनारायण पुत्र कल्याण
5. लालाराम पुत्र गौरीशंकर
6. छुट्टन लाल पुत्र गौरीशंकर
7. रामेश्वर पुत्र गौरीशंकर
8. मदनलाल पुत्र गौरीशंकर
9. कैलाशचन्द पुत्र बद्रीनारायण
10. रामप्रसाद पुत्र बद्रीनारायण
11. विष्णु पुत्र बद्रीनारायण
12. शंकरलाल पुत्र रामफूल
13. महेश पुत्र रामफूल
14. रामस्वरूप पुत्र श्योनारायण

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड, चाकसू (जयपुर)

15. ज्ञानाराम पुत्र पूराराम उर्फ पूरा
16. बाबूलाल पुत्र ज्ञानाराम
17. सांवताराम पुत्र मोतीलाल
18. भगवान सहाय पुत्र मोती लाल
19. नन्दराम उर्फ सुदामा पुत्र प्रभू
20. मदनलाल पुत्र प्रभू
21. माधोलाल पुत्र नेहनू
22. कृष्ण कुमार पुत्र माधोलाल
23. रूपनारायण पुत्र हट्टूलाल
24. छाजूराम पुत्र हट्टूलाल
25. कालूराम पुत्र परसा
26. रामजीलाल पुत्र परसा
27. रूकमणी देवी पत्नी गौरीशंकर
28. कमला देवी पत्नी लालाराम
29. कलावती देवी पत्नी छुट्टन लाल
30. केशन्ता देवी पत्नी कैलाशचन्द
31. मूली देवी पत्नी रामफूल
32. सुमन देवी पत्नी बाबूलाल
33. मनोहरी देवी पत्नी सांवताराम
34. सूजा देवी पत्नी माधोलाल
35. कमला देवी पत्नी रूपनारायण
36. राजा देवी पत्नी छाजूराम
37. धोली देवी पत्नी रामजीलाल
38. काली देवी पत्नी प्रभू

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड, चाकसू (जयपुर)

समस्त जाति मीणा, निवासीगण– ग्राम सवाईजयसिहपुरा, पटवार हल्का रूपाहेडीखुर्द मय बापूगांव तहसील कोटखावदा जिला जयपुर।

39. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसीलदार तहसील कोटखावदा जिला जयपुर।

––अप्रार्थीगण

दावा बाबत् स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 188 रा.टेनेन्सी एक्ट

वादीगण को ओर से वाद पत्र निम्न प्रकार से प्रस्तुत किया गया कि ग्राम सवाईजयसिहपुरा, पटवार हल्का रूपाहेडीखुर्द मय बापूगांव तहसील कोटखावदा जिला जयपुर में हाल खात संख्या 46 खसरा नंबर 155, 159, 160, 161, 161/87, 310, 328, 345, 346, 347, 351, 432, 559, 561, 579, 581, 585, 586, 587, 589, 609, 624, 669, 688, 703, 704, 710, 714, 715, 718, 747, 748, 749, 755, 756, कुल किता 35 कुल रकबा 19.25 है0 भूमि तथा हाल खाता संख्या 30 खसरा नंबर 164, 309, 625, 628, 727, 728, 729, 730, 731, 732, 733, 734, 735, 736, 752, 753, 754, 758, 771, 775, 776 कुल किता 21 कुल रकबा 9.59 है0 भूमि स्थित है जो वादीगण की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की भूमि है। जिसको वाद पत्र में वादग्रस्त आराजी से सम्बोधित किया गया है। प्रतिवादीगण 1 लगायत 38 आपराधिक किस्म के व्यक्ति है तथा आपराधिक प्रवृति के व्यक्तियों के साथ प्रतिवादीगण 1 लगायत 38 के सम्बन्ध है प्रतिवादीगण 1 लगायत 38 इसी बात का नाजायज फायदा उठाकर वादीगण को ऐन केन प्रकरेण वादीगण के स्वामित्व व कब्जे काश्त की वाद पत्र के मद संख्या 1 में वर्णित उक्त खसरा

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड, चाकसू (जयपुर)

नंबरान की कृषि भूमि से बेदखल कर जबरन कब्जा करना चाहते है इसी उदेश्य से आये दिन वादीगण से लडाई झगडा करते रहते है तथा वादीगण की फसलों को नष्ट करने की धमकी देते है तथा वादीगण के शान्तिपूर्ण उपयोग–उपभोग में बाधा/व्यवधान कारित करते है जिसका प्रतिवादीगण 1 लगायत 38 को कोई अधिकार नही है। दिनांक 04.09.2019 को प्रतिवादीगण 1 लगायत 38 कुछ झगडालू प्रवृति के व्यक्तियों के साथ एकमुश्त व एकराय होकर वादीगण को कब्जे काश्त की वाद पत्र के मद संख्या 1 में वर्णित उक्त खसरा नम्बरान की कृषि भूमि पर आये तथा वादीगण को उनके कब्जे काश्त की उक्त भूमि से जबरन बेदखल करने पर उतारू हो गये जब वादीगण द्वारा उसका विरोध किया गया तब प्रतिवादीगण वादीगण को मरने मारने पर उतारू हो गये विवाद बढ जाने के कारण व काफी संख्या में भीड इकटठी हो जाने के कारण उस समय तो प्रतिवादीगण वहॉ से चले गये तथा जाते जाते धमकी दे गये कि ने वादीगण को उनके कब्जे काश्त की भूमि का उपयोग उपभोग नही करने देगे तथा फसलों को नष्ट कर देगे एवं वादीगण को उनके कब्जे काश्त की भूमि से बेदखल कर उस पर जबरन कब्जा करके रहेगें तथा वादीगण को सरेआम झूंठे मुकदमों में फंसाने की धमकियॉ देते रहते है। जिसका प्रतिवादीगण 1 लगायत 38 को कोई अधिकार नही है। वादीगण वाद पत्र के मद संख्या 1 में वर्णित उक्त खसरा नंबरान की कृषि भूमि पर खेती बाडी का काम कर अपना व अपने परिवार का पालन पोषण करते है तथा उक्त कृषि भूमि से प्राप्त आय ही वादीगण की कमाई का एकमात्र साधन है। यदि प्रतिवादीगण 1 लगायत 38 द्वारा वादीगण को उनके कब्जे काश्त व खातेदारी की उक्त कृषि भूमि से अनाधिकृत तरीके से बेदखल कर दिया जाता है तो वादीगण अपनी कृषि भूमि तथा

विवाद अधिकारी